

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 16-04-2018

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम 26) के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 6, उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर
2	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 3, भीलवाडा	भीलवाडा	भीलवाडा

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, उदयपुर/भीलवाडा।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 16-04-2018

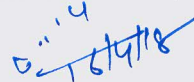
-:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा(1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राज्य सरकार, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ	श्रीगंगानगर	सूरतगढ
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलौदी	जोधपुर जिला	फलौदी
3	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाडमेर	बाडमेर	बाडमेर
4	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीम का थाना	सीकर	नीम का थाना
5	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	बाडमेर	गुडामालानी

नोट:- उक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर/जोधपुर जिला/सीकर/बाडमेर।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा/श्रीगंगानगर/जोधपुर जिला/सीकर।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 16-04-2018

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा(1), धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 36, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर
2	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 37, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर

नोट:- उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

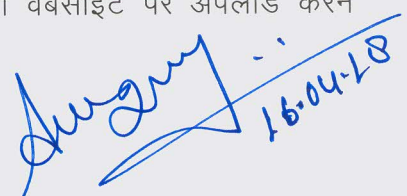


(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 16-04-2018

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) 18 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम 26) के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 27, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर
2	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 28, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर
3	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 29, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर
4	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट(एन.आई एक्ट प्रकरण) न्यायालय, संख्या 8, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।



(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(6)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 16.04.2018

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988(सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, राज्य में जिला न्यायाधीश स्तर के 2 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का सृजन व स्थापन करती है एवं इन्हें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 व क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1	2	3	4
1	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या 2, भीलवाडा (भीलवाडा न्याय क्षेत्र)	भीलवाडा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरण
2	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या 2, बून्दी (बून्दी न्याय क्षेत्र)	बून्दी	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित प्रकरण

नोट:- क्रम संख्या 1 व 2 पर वर्णित स्थानों पर पूर्व में कार्यरत् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का नाम परिवर्तित कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 1 निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

04/16/18

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा/बून्दी
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक 16.4.2018

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा(1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 23, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	आमेर
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 24, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	जयपुर महानगर

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

16/4/18

(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

16.04.18

(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017

जयपुर, दिनांक

116 APR 2018

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950(सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा(1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बहरोड	अलवर	बहरोड
2	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	बाडमेर	गुडामालानी
3	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, कामां	भरतपुर	कामां
4	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, नगर	भरतपुर	नगर
5	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	चूरु	सरदारशहर
6	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ रेनवाल	जयपुर जिला	किशनगढ रेनवाल
7	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	झुन्झुनू	पिलानी
8	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, फलौदी	जोधपुर जिला	फलौदी
9	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड	जोधपुर जिला	पीपाड

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,



(मनोज कुमार व्यास)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक, अलवर/बाडमेर/भरतपुर/चूरु/जयपुर जिला/
झुन्झुनू/जोधपुर जिला।
9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर/बालोतरा/भरतपुर/चूरु/जयपुर जिला/झुन्झुनू/
जोधपुर जिला।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में
प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने
हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव